न्यायालय उपजिलाधिकारी सहा०कले० (प्रथम श्रेणी) बिलग्राम, हरदोई

वाद सं०– 34 /2016–17

धारा –143 जे०ए०एल०आर०एक्ट
मौजा–हेरवल, तहसील–बिलग्राम
जिला– हरदोई

श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय समिति, हेरवल हरदोई बनाम उ०प्र०सरकार

नकल निर्णय दिनांक 21·6·16 हाथाड़ी

श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय समिति हेरवल हरदोई द्वारा प्रबन्धक श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० विश्राम सिंह नि० पुरवावाँ हेरवल हरदोई ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 143 जे०ए०एल०आर० एक्ट मे इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम–हेरवल तहसील–बिलग्राम, जिला–हरदोई स्थित आराजियात खाता सं०–331, 333, 115, 330, 91 गाटा सं०– ५०१/०.२८५हे०, ४६३ब/०.०७३हे०, ४६४/०.०६३हे०, ५०४/०.१४२हे०, ४६६/०.०२५हे०, ४९९/०.०५१हे०, ४६६/०.०२५हे०, ४९९/०.०५१हे०, ४६३ब/०.०७३हे०, ४६५/०.०६३हे० क्षेत्रफल का कुल रकबा 0.850 हे० का संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील है। प्रार्थी की उक्त भूमि मे विद्यालय हेतु भवन व बाउण्ड्री बनी हुयी है। उपरोक्त भूमि की सीमाये एक मे मिली हुई हैं और एक ही परिसर मे स्थित होने के कारण विद्यालय के निर्माण हेतु प्रयोग मे लाई जा रही है। उक्त भूमि पर कृषि, बागवानी, मुर्गीपालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त आराजियात को अकृषिक (आवासीय) घोषित किया जाये। उक्त प्रा० पत्र तहसीलदार बिलग्राम से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बिलग्राम ने अपनी आख्या दिनांक १५.०६.१६ मे कहा है कि ग्राम हेरवल को प्रश्नगत नम्बरान सरहद करीबी है, लिहाजा प्रार्थी ने इन नम्बरानो को मिलाकर एक कर दिया है और उक्त आराजियात के चारो और बाउण्ड्रीवाल बना ली है, इमारत का निर्माण कर लिया है। मौके पर उक्त आराजियात मे कृषि कार्य, रेशमकीट पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है।

मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया एवं वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध इन्तखाब खतौनी वर्ष 1423–1428 फसली ग्राम–हेरवल परगना–मल्लावाँ, जिला–हरदोई के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजियात मे प्रार्थीगणो का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप मे दर्ज कागजात है। तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या दिनांक १५.०६.१६ मे ग्राम हेरवल के प्रश्नगत नम्बरान सरहद करीबी होने से एक मे मिलाकर चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने व अन्दर महाविद्यालय इमारत का निर्माण होने तथा वर्तमान मे निर्माण जारी होने तथा प्रश्नगत आराजियात मे कृषि कार्य, रेशमकीट पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि का कार्य न होने की बात कही है तथा प्रश्नगत आराजियात जो श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय हेरवल हरदोई के रुप मे विकसित हो चुका है को अकृषिक (आवासीय) घोषित किये जाने की संस्तुति की है। ग्राम हेरवल स्थिति सं०–331, 333, 115, 330, 91 गाटा सं०– ५०१/०.२८५हे०, ४६३ब/०.०७३हे०, ४६४/०.०६३हे०, ५०४/०.१४२हे०, ४६६/०.०२५हे०, ४९९/०.०५१हे०, ४६६/०.०२५हे०, ४९९/०.०५१हे०, ४६३ब/०.०७३हे०, ४६५/०.०६३हे० क्षेत्रफल का कुल रकबा 0.850 हे० राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हो गया है। चूंकि ग्राम हेरवल की उक्त आराजियात को एक मे मिलाकर चारो और बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा चुका है। उक्त आराजियात में कृषि, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही किया जा रहा है। ए०डी०जी०सी० (रेवेन्यु) मे भी प्रश्नगत आराजियात को अकृषिक (आवासीय) घोषित किये जाने की संस्तुति की है ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत आराजियात को अकृषिक (आवासीय) घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक मे ग्राम हेरवल परगना मल्लावाँ तहसील बिलग्राम जिला हरदोई की खतौनी वर्ष 1423–1428 फ० खाता सं०–331, 333, 115, 330, 91 गाटा सं०– ५०१/०.२८५हे०, ४६३ब/०.०७३हे०, ४६४/०.०६३हे०, ५०४/०.१४२हे०, ४६६/०.०२५हे०, ४९९/०.०५१हे०, ४६६/०.०२५हे०, ४९९/०.०५१हे०, ४६३ब/०.०७३हे०, ४६५/०.०६३हे० क्षेत्रफल का कुल रकबा 0.850 हे० सं० यू०पी०जे०ए०एण्ड एल०आर० एक्ट की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल बरामद जारी हो। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार बिलग्राम सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 21.06.16

21·6·16
(पी०पी०तिवारी)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी प्रभारी उपखण्ड
परगनाधिकारी, बिलग्राम
जिला–हरदोई

शान्ती देवी

श्री ठाकुर जी म[illegible] समिति
ग्राम हेरवल पो० [illegible] जिला हरदोई

प्रबन्धक
श्री ठाकुर जी म[illegible] महाविद्यालय समिति
ग्राम हेरवल पो० [illegible] जिला हरदोई